

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र० 06-ए/2015

F.No. 230301015902015

संस्थापित दिनांक 17.04.2015

श्रीमती कुसमा देवी पत्नी विजय शर्मा पुत्री
रामवतार, उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम नयागांव,
हॉल निवासी ग्राम किशूपुरा तहसील व जिला
भिण्ड म०प्र०

..... आवेदक/वादी

वि रु द्ध

1. लतादेवी पत्नी रामवतार उम्र 52 वर्ष
2. सत्यनारायण पुत्र रामवतार उम्र 31 वर्ष
3. संजय पुत्र रामवतार उम्र 25 वर्ष
निवासीगण नयागांव हाल निवासी ए 80
तेजेन्द्र प्रताप सोसाइटी अहमदाबाद गुजरात
4. दयानंद शर्मा पुत्र सिम्भूदयाल उम्र 55 वर्ष
5. कुष्णानंद पुत्र सिम्भूदयाल शर्मा उम्र 43 वर्ष
निवासी ग्राम नयागांव तहसील व जिला भिण्ड
6. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, भिण्ड

..... अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक **06.11.2017** को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारो 151 सीपीसी का निराकरण करेगा।
2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम नयागांव तहसील व जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 322, 1635, 321, 1770, 1771, 1772 क्षेत्रफल क्रमशः 0.05, 0.12, 0.08, 0.07, 0.10, 0.43 कुल क्षेत्रफल 0.85 हेक्टेयर में रामअवतार का हिस्सा 1/5 रहा है। सर्वे क्रमांक 345 क्षेत्रफल 0.11 एवं सर्वे क्रमांक 1635 क्षेत्रफल 0.12 में रामअवतार का हिस्सा 1/5, सर्वे क्रमांक 1624 क्षेत्रफल 0.22, सर्वे क्रमांक 1626 क्षेत्रफल 0.45 में रामअवतार का हिस्सा 1/15 रहा है। सर्वे क्रमांक 879 क्षेत्रफल 0.46,

सर्वे क्रमांक 880 क्षेत्रफल 0.43 में रामअवतार का हिस्सा 1/10 रहा है। सर्वे क्रमांक 953 क्षेत्रफल 0.56 में रामअवतार का हिस्सा 1/3 सर्वे क्रमांक 429 क्षेत्रफल 0.63, सर्वे क्रमांक 430 क्षेत्रफल 0.32 में रामअवतार का हिस्सा 1/10 तथा सर्वे क्रमांक 1623 क्षेत्रफल 0.18 में रामअवतार का हिस्सा 1/4 रहा है। ग्राम टेहनगुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1571 क्षेत्रफल 0.44 में रामअवतार का हिस्सा 1/5 तथा सर्वे क्रमांक 1339 क्षेत्रफल 0.59, सर्वे क्रमांक 1329 क्षेत्रफल 0.13 सर्वे क्रमांक 1342 क्षेत्रफल 0.16 में रामअवतार का हिस्सा 1/10 तथा सर्वे क्रमांक 1280 क्षेत्रफल 0.58 में रामअवतार का हिस्सा 1/8 रहा है। ग्राम बेहड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 509 क्षेत्रफल 0.72 एवं सर्वे क्रमांक 3202 क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट में रामअवतार का हिस्सा 1/5 रहा है। इस मामले में रामअवतार के हिस्से की भूमि विवादित भूमि है, जिसे आगे के पदों में विवादित भूमि के रूप में संबोधित किया जायेगा।

3. विवादित भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 है, जिसके संबंध में वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी रामअवतार की पुत्री है, जिसका जन्म दिनांक 27.06.1978 को हुआ था। वादी की मां का देहांत बचपन में ही हो जाने के कारण वादी के पिता रामअवतार ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से द्वितीय विवाह कर लिया, जिससे प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 का जन्म हुआ। इस प्रकार वादी रामअवतार की विवादित भूमि में वैध उत्तराधिकारी है। वादी के पिता रामअवतार की दिनांक 26.10.2011 को मृत्यु हो चुकी है। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 वादी को हिस्से के रूप में नगद राशि दिया करते थे। उसके पश्चात वर्ष 2015 में शिवरात्रि के अवसर पर वादी ने फसल का लाभ प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 से मांगा तो उन्होंने न देते हुये कहा कि वादी का विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं है, जबकि विवादित भूमि के रामअवतार के हिस्से की भूमि में रामअवतार की पुत्री होने के नाते वादी का 1/4 हिस्सा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना आवेदक/वादी के पक्ष में है। अतः उक्त आवेदन स्वीकार कर निवेदन किया कि अनावेदकगण मामले के

निराकरण तक विवादित भूमि का विक्रय न करे। आवेदन के समर्थन में आवेदक/वादी श्रीमती कुसमादेवी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने लिखित कथन एवं आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र के अभिवचन तथा लिखित कथन के तथ्यों को सारतः अस्वीकार करते हुये व्यक्त किया है कि वादी रामअवतार की पुत्री है और वादी की माँ की मृत्यु बचपन में ही हो जाने से वादी के पिता द्वारा दूसरी शादी प्रतिवादी क्रमांक 1 से की थी, जिससे प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 का जन्म हुआ। वादी का रामअवतार के हिस्से में कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि रामअवतार ने प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3 के हक में अपने जीवनकाल में रामअवतार द्वारा छोड़ी गई समस्त चल व अचल संपत्तियों के संबंध में दिनांक 28.9.2011 को मनोज कुमार एवं अक्षय कुमार साक्षीगण के समक्ष वसीयतनामा संपादित कर दिया था, जिसके आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 का नामांतरण हुआ और उनका आधिपत्य है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। आवेदन के जवाब के समर्थन में सत्यनारायण एवं संजय शर्मा द्वारा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 4 व 5 की ओर से आवेदन का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु लिखित कथन में वादपत्र के समस्त तथ्यों को सारतः अस्वीकार करते हुये यह अभिवचन किया है कि वादी की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और वादी के पिता रामअवतार ने द्वितीय विवाह किया, जिससे प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 का जन्म हुआ। रामअवतार के जीवनकाल में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के मध्य घरोबा बटवारा हो चुका था, जिसमें वादी ने दस तोला सोना एवं पांच लाख रुपये नगद जमीन के एवज में प्राप्त कर अपना हक त्याग दिया है। इस प्रकार वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

6. प्रतिवादी क्रमांक 6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसर हुई है।

7. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में है?

ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है?

स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदक/वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

8. उभयपक्ष के द्वारा किये गये अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्रीय कथन से इस मामले में यह तथ्य अविवादित है कि वादी रामअवतार की प्रथम पत्नी की पुत्री है तथा वादी की माँ का देहांत हो जाने के पश्चात वादी के पिता रामअवतार ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से विवाह किया और उसके उपरांत प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 का जन्म हुआ। इस प्रकार उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों से यह तो स्पष्ट है कि इस मामले की विवादित भूमि के पूर्व स्वामी मृत रामअवतार की वादी पुत्री तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 पुत्र एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 पत्नी है और रामअवतार के वैध उत्तराधिकारी है।

9. वादी के द्वारा किये गये अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन के अनुसार वादी ने विवादित भूमि पर स्वयं के स्वत्व का स्रोत यह बताया है कि वह रामअवतार की पुत्री है और रामअवतार की मृत्यु के उपरांत उसका विवादित भूमि के रामअवार वाले हिस्से के 1/4 भाग पर स्वत्व है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन के अनुसार विवादित भूमि के संबंध में रामअवतार ने प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 28.09.2011 संपादित की थी और उक्त वसीयत के आधार पर उनका विवादित भूमि पर स्वत्व है। इस प्रकार विवादित भूमि पर स्वत्व के संबंध में उभयपक्ष द्वारा किये गये अभिवचन एवं शपथ पत्रीय कथन के तथ्य परस्पर विरोधाभासी है और उनके आधार पर इस प्रक्रम पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

10. वादी के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विवादित भूमि के वर्ष 2014-15 के खसरा एवं खतोनी की फोटो प्रतियाँ अभिलेख पर प्रस्तुत की हैं, परंतु उक्त राजस्व दस्तावेजों से विवादित भूमि पर वादी का नाम इंद्राज होना दर्शित नहीं होता है। प्रतिवादीगण की ओर से रामअवतार द्वारा की गई वसीयतनामा दिनांक 28.9.2011 अभिलेख पर प्रस्तुत की है। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण के द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि वसीयत रजिस्टर्ड है, जबकि प्रस्तुत मूल वसीयत दिनांक 28.9.2011 के अवलोकन से उक्त वसीयत रजिस्टर्ड न होकर नोटरीकृत है।

11. वादी के अभिवचन के अनुसार विवादित भूमि के रामअवतार के हिस्से के 1/4 भाग पर रामअवतार की पुत्री होकर उत्तराधिकारी होने के कारण उसका स्वत्व है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के अभिवचन के अनुसार विवादित भूमि के संबंध में रामअवतार ने अपने जीवनकाल में उनके पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 28.9.2011 संपादित किया है और उक्त वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 का विवादित भूमि के रामअवतार के हिस्से की भूमि पर उनका स्वत्व है। इस मामले में यह सारभूत सद्भाविक प्रश्न निहित है कि क्या वादी का रामअवतार के उत्तराधिकारी होने के कारण विवादित भूमि पर स्वत्व है अथवा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 का वसीयतनामा दिनांक 28.9.2011 के आधार पर उनका स्वत्व है और उक्त प्रश्न का अवधारण साक्ष्य उपरांत ही किया जाना संभव है। ऐसी स्थिति में वादी का विवादित भूमि पर हक होने के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना पाया जाता है।

12. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का प्रश्न है, तो उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना पाया गया है और यदि मामले के लंबन के दौरान विवादित भूमि का विक्रय किया जाता है तो निश्चित ही व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढेगी और प्रतिवादीगण की अपेक्षा वादी को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना को भी वादी के पक्ष में होना पाया जाता है।

13. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में होने से और विवादित भूमि को संरक्षित किये जाने की दृष्टि से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि मामले के निराकरण तक ग्राम नयागांव, ग्राम टेहनगुर, ग्राम बेहड स्थित रामअवतार के हिस्से की विवादित भूमि का प्रतिवादीगण मामले के निराकरण तक विक्रय न करे।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 06.11.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)